न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2024
Gcms reg. No. 2024/29

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री अंजार पिता श्री नुर मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री अंजार पिता श्री नुर मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नंम्बर	न्यायालय निर्णय
1	220/08.09.2020	13 आरपीजीओ	139/26.09.2020	सजा
2	195/14.08.2020	13 आरपीजीओ	135/15.09.2020	सजा
3	64/07.03.2018	13 आरपीजीओ	43/20.03.2018	सजा
4	283/09.09.2021	13 आरपीजीओ	227/28.09.2021	सजा

श्री अंजार पिता श्री नुर मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा के विरुद्ध राजस्थान जुआ अधिनियम के तहत पर कुल 4 प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित हुआ है। फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नही हुआ है तथा चोरी छुपे अभी भी अवैध जुआ–सट्टे के धन्धे में लिप्त होने की मुखबीरी सूचना है। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति का है। जो समाज में आम जन के लिये हानिकारक एवं घातक है जिसके विरुद्ध आम लोग शिकायत करने व गवाही देने से डरते है। इसका उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 12–03–2024 को अप्रार्थी गैरसायल उपस्थित हुआ, अप्रार्थी गैरसायल की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 18.06.2024 को गैरसायल की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के विरुद्ध कुल सात प्रकरण है जिसमे प्रार्थी को प्रकरण सं. 220/2020, 195/2020, 64/2018, 283/2021 में दोष सिद्ध ठहराया गया प्रार्थी को कई मुकदमो में पुलिस द्वारा जोर जबरदस्ती झुठा अभियुक्त बनाया गया है तथा डर बताकर एवं अपना कोटा पुरा करने के लिये जबरन जुर्म स्वीकार करवाया है जबकि सारे मुकदमे झुठे व फर्जी है। प्रार्थी को धारा 3 परीविक्षा अधिनियम का लाभ देकर प्रताडीत कर छोडा गया है। प्रार्थी से किसी भी आम नागरीक को नुकसान या हानि नही है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरणो के अतिरिक्त कोई आपराधिक कृत्य नही किया है।

दिनांक 08.07.2024, 29.07.2024, 27.08.2024 को गैरसायल के अनुपस्थित रहने पर उनके अधिवक्ता द्वारा गैरसायल की ओर से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 23.09.2024 को गैरसायल को पुनः नोटिस जारी करने पर दिनांक 15.10.2024 को गैर सायल ने अपनी ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद ताहिर का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् दिनांक 25.11.2024 को गैर सायल अनुपस्थित रहा। 07.01.2025 व 27.01.2025 को गैर सायल की अनुपस्थिति पर उनके अधिवक्ता ने हाजरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 17.02.2025, 10.03.2025 व आज दिनांक 01.04.2025 को गैर सायल/ अप्रार्थी स्वयं एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी/ गैरसायल को बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई, किन्तु गैरसायल स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। इससे यह प्रतित होता है कि गैर सायल/ अप्रार्थी श्री अंजार पिता नुर मोहम्मद कथित आरोपो के संबंध में कोई साक्ष्य देने / किसी साक्ष्य की परीविक्षा कराने की इच्छा नही रखता है। पत्रावली में साक्ष्य बंद कर अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 7 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 4 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

सजायाब हुआ है। गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध जुआ–सट्टे का आदी है। गैरसायल को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजुद भी अप्रार्थी/ गैरसायल सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रवृत्ति का है। जो समाज में आम जन के लिये हानिकारक एवं घातक है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली उसमें संलग्न अभिलेखों तथा अप्रार्थी गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 7 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है जिसमें से गैरसायल 4 प्रकरण में सजायाब हुआ है। परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबुत पेश किये है। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणो में कार्यवाही किये जाने हेतु सिफारीश की गई है। पत्रावली में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजुद है, अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित 4 प्रकरणो में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री सुरज पिता श्री पीरु बंजारा निवासी दाहोद नाका, भवानपुरा, पुलिस थाना राजतलाब, जिला बांसवाडा (राज.) को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि –

1. श्री अंजार पिता श्री नुर मोहम्मद निवासी कुशलगढ, पुलिस थाना कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.) को जिला बांसवाडा की सीमा से 40 दिवस की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.) अन्तर्गत क्षैत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested

2. यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

3. अप्रार्थी/ गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना डूंगरपुर जिला डूंगरपुर में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षैत्र नही छोडेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।

4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा/ धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ/ मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।

5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाधर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नही हो सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 01-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.05.27 11:07:13 IST
Reason: SelfAttested